

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम
अलवर

अनवान बनाना
किस्म मुकदमा कमला मु० नं० २१७३ सन् 2021

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

19.08.2021

वादी मय वकील उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 20.09.2021 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

08/21
गरी प्रबन्धना उपर वास्ते एक तल्की पत्रावली दिनांक 11/11/21
हो के हो। इतना लिखने मय वादीया सुश्र्व
उपस्थित। वादीया ने प्रार्थना पर पेश कर
लिखने लिखा कि पर कएने वाए को कएने
गरी प्रबन्धना वास्ते लिखने करण वास्ते हो
वादीया की परमाण की सुविधा मय हो।
ने की। वाए पर को ही सुविधा मय हो।
वादीया की परमाण पर ही प्रमाण हो। ने -
NO objection लिखा। वादीया को सुश्र्व
गया। वादीया का प्रार्थना पर सुश्र्व पर
हीमा जकार का प्रमाण पर लिखा गया।
वादीया कएने वाए को कएने गरी प्रबन्धना
वास्ते लिखने वादीया का वाए सुश्र्व
लिखा गया है। प्रमाण मय सुश्र्व सुश्र्व
कएने से वाए से लए वाए प्रमाण कएने
अकार हो।

08/21
Ranjana


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

